न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर (राज)

तारीख हुक्म	मु·नं· 2/94 ता·रज्जू 6·9·11 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज उनवान: रोबड़ा V/s निजरवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लोक अदालत कैम्प कोर्ट: मालारेखा

08·5·17

आज पत्रावली कैम्प कोर्ट मालारेखा में पेश हुई। वादीगण ने एक वाद पत्र के साथ वाद प्रा·पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct का पेश किया कि वादीगण के पूर्वज श्री गूगाँ की खातेदारी की आराजी थी जिस पर सम्वत 2003-04 से ~~चला~~ कब्जा चला आ रहा है। वक्त लागू होने राज० काश्तकारी अधिनियम श्री आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पूर्वज श्री गूंगा का कब्जा बतौर उप कृषक के चला आ रहा है था जिस कारण कानूनन वो आराजी मुतनाजा के खातेदार हो गए। ~~सम्~~ सम्वत 2013 मे उनका नाम बतौर उप कृषक दर्ज चला आ रहा है ~~जिस कारण~~ श्री गूगाँ के 2 पुत्र मेदी व नवीरखां थे। नवीरखां गत करीब 30-40 साल पूर्व अपने पिता के जीवन काल मे ही गांव छोड़कर भाचाड़ी चला गया। ना उसका कभी कब्जा रहा। गूंगा के स्वर्गवास होने के बाद मेदी का कब्जा चला आ रहा था सम्वत 2020 मे आराजी मुतनाजा की बाबत मेदी व नवीरखां का नाम दर्ज कर दिया गया था। नवीरखां का स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारिसान तर० प्रतिवादी सं· 13 लगायत 18 है। ना कभी मौके पर कब्जा रहा ना कभी कोई ~~सम्~~ ताल्लूक किसी प्रकार का नहीं रहा। उसके बाद श्री [illegible] पूर्वज श्री नसीब व [illegible] ने अपने हकूक पैदा [illegible] गुरबक्शी ने [illegible] साज बाज की करने की नियत से [illegible] मिलत करके सम्वत 2020 मे गलत तौर पर [illegible] नाम दर्ज करा लिया जो इन्तजाम सम्वत 2051 मे भी उनका नाम निरूद्ध भाग पर बतौर खातेदार के गलत तौर पर दर्ज कर दिया गया। वादीगण का कब्जा गत करीब 50-60 साल से अपने पूर्वजों के जमाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:00:33 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के महज वादीगण को नुकसान पहुँचाने की नियत से बेदखल करने की कोशिश मे रहते है। अतः ता फैसला वाद प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा पूर्व प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06-9.11 का आद्योपान्त अवलोकन किया वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी पूर्वजो की अर्जित सम्पति है। वादीगण का वाद अभी विचाराधीन है। राजस्व रिकार्ड का भी अवलोकन किया। अतः प्रथम दृष्टा केस व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष मे होना प्रकट होता है। अतः इसी न्यायालय द्वारा पूर्व प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 6-9.11 को ताफैसला मुकदमा स्थाई (Absolute) किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 8.5.17 को सरे इजलास सुनाया गया। सेवानिवृत तहसीलदार बैंच सदस्य राजस्व लोक अदालत एडवोकेट बैंच सदस्य राजस्व लोक अदालत सहायक कलक्टर अलवर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:00:33 IST
Reason: SelfAttested